न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी RAS

राजस्व वाद सं. 172/2017

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

वादीगण

1. मंजू पत्नि मालाराम पुत्री मोहनराम जाति भील नि० भाण्डियावास
2. डुआ पत्नि रामेश्वर पुत्री मोहनराम जाति भील नि० गोपड़ी
3. सुकली पत्नि श्याम पुत्री मोहनराम जाति भील नि० गोपड़ी
4. रेशमी पत्नि लालाराम पुत्री मोहनराम जाति भील नि० जसोल
5. मति पत्नि बाबूजी पुत्री मोहनराम जाति भील नि० खुरजकेरा पाटोदी
6. देवकी पत्नि खुमाराम पुत्री मोहनराम जाति भील नि० गोपड़ी सभी तहसील पचपदरा
7. मांगी देवी पत्नि सुमेराराम पुत्री मोहनराम जाति भील नि० पचपदरा हाल नि० मूठली तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

प्रतिवादीगण

1. मोहनराम पुत्र प्रेमाराम जाति भील नि० मण्डापुरा
2. खाण्डाराम पुत्र मोहनराम
3. खेमाराम पुत्र मोहनराम
4. कानाराम पुत्र मोहनराम
5. माईदानराम पुत्र रामाराम
6. भिखाराम पुत्र गुलाबाराम
7. मांगीलाल पुत्र गुलाबाराम
8. हलकी w/o सुरताराम
9. ओमप्रकाश पुत्र सांवलराम जातियान सभी भील निवासी मण्डापुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, पचपदरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:51:23 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

[illegible] एवं स्थायी निषेधाज्ञा

[illegible] 07 नियम 11 (क) सपठित 151 CPC

[illegible]

उपस्थिति : 1. श्री [illegible] अधिवक्ता वादी

2. श्री [illegible] अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक

प्रतिवादी सं. 6 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] 11 CPC के अंतर्गत [illegible] है कि [illegible] के [illegible] सं. 6 [illegible] [illegible] है कि वादीगण [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] के [illegible] के [illegible] के [illegible] [illegible] है। [illegible]

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:51:23 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
उपखंड अधिकारी
(SDO) [illegible]

धारा 40 रा.का.अ. में अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिए कोई स्वीय विधि संहिताबद्ध वर्तमान में नहीं है, इसलिए वादीगण को वादग्रस्त आराजी में अपने हक हिस्से के निर्धारण व घोषणा सक्षम फोरम में ही कार्यवाही कर सकते है, वादी का वाद विधि से वर्जित होने से भी न्यायालय को वर्तमान वाद ग्रहण करने एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रतिवादी सं. 05 ता 09 बिना नोटिस के सद्भाविक सद्भाविक क्रेता प्रथम दृष्टया कोई भी पंजीकृत विक्रय विलेख आक्षेपित शून्य एवं निष्प्रभावी नहीं होता है, जब तक कि सक्षम सिविल न्यायालय इसे शून्य न्याय निर्णित नहीं कर दे। वादीगण के वाद-पत्र में इन पंजीकृत बैयानों को निष्प्रभावी घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है। पंजीकृत विक्रय विलेख के निष्प्रभावी घोषित करने का भी न्यायालय को वाद-पत्र ग्रहण करने एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

अन्त में निवेदन किया गया कि वादीगण का वाद-पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से [illegible] किया जावे।

वादीगण की ओर से [illegible] का जवाब [illegible] कर प्र.वा.गा. के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर निवेदन किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:51:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

ट्रेडिशन हिन्दु लॉ के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी के बिरादरी में प्रचलित व सुस्थापित रिवाज व रूढ़ी है, कि दादा की जायदाद में वादीगण का हक हिस्सा होता है, जो साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जा सकता है। वादीगण द्वारा वाद संस्थित करना विधि द्वारा वर्जित नहीं है, हिन्दु उत्तराधिकार 1956 की धारा 102 में रूढ़ी व परम्परा को संरक्षित किया गया है। ऐसे वाद को सुनने का अधिकार श्रीमान न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रतिवादी सं. 5 ता 9 सद्भाविक सद्भावी क्रेता है, एक तथ्यात्मक बिन्दु है, जो दोनों पक्षों के साक्ष्य आने के पश्चात ही तय किया जा सकेगा। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 5 ता 9 के हिस्से में भूमि का बेचान नहीं किया है। प्रतिवादी सं. 1 को अपने हक हिस्से से ज्यादा भूमि बेचान करने का विधिक अधिकार नहीं था, जिसको उक्त बेचाननामा से वादीगण पाबन्द नहीं है। जिससे तथाकथित बेचाननामा वादीगण उक्त बेचाननामा से पाबन्द नहीं है। अदालत श्री को बेचाननामा निष्प्रभावी करार देना को सक्षम है।

अन्त में निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्तागण [illegible] सुना।

प्रतिवादी सं. 6 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण द्वारा विधि के विरुद्ध गलत दावा पेश किया गया है, जिसे सुनने एवं ग्रहण करने का

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:51:23 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

श्रीमान न्यायालय को क्षेत्राधिकार ही नहीं है, प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने योग्य है। इसलिए वादीगण के वाद को खारिज करने का निवेदन किया गया।

वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वाद पत्र वादीगण की पुश्तैनी सम्पत्ति में रूढ़ी परम्परा के आधार पर हक हिस्से निहित होने से साक्ष्य लेने के आधार पर ही विधिक निस्तारण करने में सुविधा होगी. प्रार्थना-पत्र के जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण सं. 6 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया. बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादीगण अनुसूचित जन जाति की भील समुदाय से है. अनुसूचित जन जाति के सदस्य होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 के अनुसार प्रावधान लागू नहीं होते है। अनुसूचित जन जाति की जायन्दा पुत्रियों के अधिकार जायन्दा पुत्र नहीं होने पर उसकी मृत्यु पर उत्तराधिकार पैदा होते है। हस्तगत वाद में प्रतिवादी [illegible] के प्रतिवादी सं. 2 ता 4 जायन्दा पुत्र है ऐसी स्थिति [illegible] वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र प्रारंभिक [illegible] करने योग्य होने से काबिल खारिज करने योग्य है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में हक हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:51:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

तहसीलदार बालोतरा को प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रतिवादी सं. 5 ता 9 को बेचान किया जाना बताया है, तथा ने सम्मिलित सहखातेदार ठहराया है, प्रथम दृष्टया कोई भी पंजीकृत विक्रय विलेख आदि शून्य एवं निष्प्रभावी जब तक नहीं होता है, उसे सक्षम माननीय सिविल न्यायालय के द्वारा शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित नहीं जावे। वादीगण के द्वारा विधि के विरुद्ध वादपत्र में पंजीकृत दस्तावेजातों को निष्प्रभावी घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है, जिसे सुनने का क्षेत्राधिकार एवं अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर केवल मात्र सक्षम सिविल न्यायालय को ही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं. 6 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र O 7 R 11 CPC को स्वीकार कर वादीगण के वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने से इसी स्टेज पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28-10-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:51:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

बदस्तूर आराजी को प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रतिवादी सं. 5 ता 9 को बेचान किया जा चुका है, तथा वे सफलफल खातेदार हो गये है, प्रथम दृष्टया कोई भी पंजीकृत विक्रय-विलेख जारिज शून्य एवं निष्प्रभावी जब तक नहीं होता है, उसे सक्षम माननीय सिविल न्यायालय के द्वारा शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित नहीं जावे। वादीगण के द्वारा विधि के विरुद्ध वाद-पत्र में पंजीकृत दस्तावेजातों को निष्प्रभावी घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है, जिसे सुनने का क्षेत्राधिकार एवं अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर केवल मात्र सक्षम सिविल न्यायालय को ही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं.6 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र 07 R 11 CPC को स्वीकार कर वादीगण के वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से इसी स्टेज पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा [illegible]

निर्णय आज दिनांक 28.10.[illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:51:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा